न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 196/2015 **दायरा दिनांक : 26.08.2015**

उनवान

1– रामरतन पुत्र देव चन्द, जाति माली, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– मूलचन्द पुत्र देव चन्द, जाति माली, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– लीला बेवा कन्हैया लाल लखारा, निवासी कोटा

2– दुर्गाशंकर पुत्र कन्हैया लाल लखारा, निवासी कोटा

3– संतोष पुत्री कन्हैया लाल लखारा, निवासी कोटा हाल सुकेत जिला कोटा

4– गायत्री पुत्री कन्हैया लाल लखारा, निवासी कोटा

5– कविता पुत्री कन्हैया लाल लखारा, निवासी कोटा

6– कमलेश पुत्री कन्हैया लाल लखारा, निवासी कोटा

7– मधु पुत्री कन्हैया लाल लखारा, निवासी कोटा

8– पूजा पुत्री कन्हैया लाल लखारा, निवासी कोटा

9– विद्याबाई पुत्री मदन लाल, जाति लखारा, निवासी मांगरोल, हाल कोटा

10– पार्वती पुत्री मदनक लाल पत्नी पुरूषोत्तम लखारा, निवासी मांगरोल, हाल कोटा

11– मीना पुत्री रमेश चन्द, जाति लखेरा, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

12– ज्योति पुत्री रमेश चन्द, जाति लखेरा, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

13– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपस्थित – श्री मदन लाल गालव, श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 09.02.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 37/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट का वाद डिक्री कर ग्राम मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां की खसरा नम्बर 728 रकबा 0.55 हेक्टर में से खातेदार देवचन्द वल्द बिरधा माली का नाम विलोपित करके रेस्पोडेंट का नाम दर्ज करने का आदेश दिया एवं अपीलांट को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वे वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न करें, न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें । अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी एवं खातेदार देवचन्द के वारिसान को रेकार्ड पर लेकर पक्षकार नहीं बनाया एवं निर्णय पारित कर दिया । देवचन्द के तीन पुत्र रामरतन, मूलचन्द, रामनारायण जीवित है, जिनके नाम वर्तमान में वादग्रस्त आराजी खातेदारी में दर्ज है जिन्हें कायम मुकामान बनाकर वाद में प्रतिवादी बनाकर सुनवायी का अवसर देना चाहिए था परन्तु उन्हें पक्षकार बनाये बिना, बिना सुनवायी का अवसर दिये बिना एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। वाद में केवल मात्र रामरतन पुत्र देवचन्द को 1/1 पक्षकार बनाया है । अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय बहस सुनकर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पिता देवचन्द के नाम खातेदारी में दर्ज थी एवं वर्तमान में आराजी पर अपीलांट खातेदार है एवं काबिज काश्त है । वाद में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना उन्हें सुने बिना व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है । वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा है जिसके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील अपीलांट स्वीकार का अधीनथ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2014 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.05.2015 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कन्हैया लाल के नाम डिक्री जारी कर दी इसके विरूद्ध । देवचन्द के लड़के रामरतन व मूलचन्द की ओर से अपील पेश की गई । दौराने दावा देवचन्द के विरूद्ध ही किया था देवचन्द फौत हो गया उसके तीन लड़के हैं रामनारायण, रामरतन व मूलचन्द । इन्तकाल नम्बर 1517 से आराजी तीनों के नाम आ गई । अधीनस्थ न्यायालय में देवचन्द के एक पुत्र को ही पक्षकार बनाया गया शेष दो पुत्र रामनारायण व मूलचन्द को पक्षकार नहीं बनाया गया । अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.04.2014 के वाद शीर्षक में प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में देवचन्द पुत्र बिरधा एवं प्रतिवादी नम्बर 1/1 पर रामरतन पुत्र देवचन्द को पक्षकार बनाया गया है । जमाबंदी सम्वत 2065–68 में नामान्तरकरण संख्या 1517 से मृतक देवचन्द के स्थान पर वादग्रस्त आराजी उसके पुत्रों रामनारायण, रामरतन व मूल चन्द के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई । यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल देवचन्द के एक ही पुत्र केवल रामरतन को ही पक्षकार बनाया है जबकि उसके शेष दो पुत्र अपीलांट संख्या 1 रामरतन व अपीलांट संख्या 2 मूलचन्द को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि प्रकरण में देवचन्द के तीनों पुत्रों को ही पक्षकार

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

बनाया जाना आवश्यक था । अतः अपीलांट को भी पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2014 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट एवं उसके अन्य आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाकर एवं सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.05.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा